आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

REC Limited | आर ई सी लिमिटेड
(भारत सरकार का महारत्न उद्यम) (A Maharatna Government of India Enterprise)
पंजीकृत कार्यालयः कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. आई–4, इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास,सेक्टर–29, गुरुग्राम–122001(हरियाणा)
दूरभाषः +91 124 444 1300 | वेबसाइटः www.recindia.nic.in
सीआईएनः L40101DL1969GOI005095 | जीएसटी नं.: 06AAACR4512R3Z3

एसईसी-1/187(2)/2026/2691 **दिनांक: 19 जनवरी, 2026**

लिस्टिंग विभाग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051	**कॉर्पोरेट संबंध विभाग** बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई – 400 001
स्क्रिप कोड-RECLTD	**स्क्रिप कोड-532955**
Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), **Mumbai-400 051**	**Corporate Relationship Department** BSE Limited 1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort**, Mumbai - 400 001**
Scrip Code-RECLTD	**Scrip Code-532955**

विषय: एक्सचेंजों द्वारा लगाए गए जुर्माने पर बोर्ड की टिप्पणियां के संबंध में ।

महोदय / महोदया,

यह 28 नवंबर, 2025 के एनएसई पत्र और बीएसई ईमेल के संदर्भ में है, जिसमें आरईसी लिमिटेड ("आरईसी"/"कंपनी") द्वारा सितंबर 30, 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान निदेशक मंडल के गठन से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया है, जैसा कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम") में निर्धारित किया गया है।

स्टॉक एक्सचेंजों की सलाहानुसार, अनुपालन न करने का उपरोक्त मामला 31 दिसंबर, 2025 को आयोजित कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में रखा गया था, जिसमें बोर्ड ने निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में अनुपालन न करने की स्थिति और स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा इससे संबंधित लगाए गए जुर्माने पर ध्यान दिया गया।

इस संबंध में, बोर्ड ने यह इच्छा व्यक्त की कि आरईसी के बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी, अर्थात् भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय से नियमित रूप से संपर्क किया जाए। बोर्ड ने यह भी ध्यान दिया कि स्टॉक एक्सचेंजों से कंपनी पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने और इस संबंध में कोई और जुर्माना/दंड न लगाने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला कंपनी के नियंत्रण से बाहर है और कंपनी की ओर से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

इसके अलावा, हम यह निवेदन करना चाहेंगे कि, सरकारी कंपनी होने के नाते और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से निहित है और निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की कोई भूमिका नहीं है।

धन्यवाद,

भवदीय,
आरईसी लिमिटेड के लिए
Digitally Signed

(दिनेश गर्ग)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

संलग्न :एनएसई पत्र और बीएसई ईमेल दिनांक 28 नवंबर, 2025.